

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2023/ 216

दिनांक 20/01/2023

अनवान :-

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
ईदा खातुन वगैरा	बनाम	केसा वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 18/2021

दिनांक : 17.01.2023

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र नेहरो की नाडी के मौजा भीलों का तला के खेत खसरा सं. 1076/983 रकबा 09.15 बीघा, खसरा सं. 1075/983 रकबा 09.15 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

क्रमांक/भू.अ./2023/ 217 to 220  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण ईदा खातुन वगैरा
3. विप्रार्थीगण केसा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 20/01/2023



(भागीरथ राम II)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन